

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 625-दौ/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 21.12.2012 पारित द्वारा
तहसीलदार, घुबारा प्रकरण क्रमांक 06/अ-3/2011-12

मुलायम सिंह पुत्र लीलाधर सिंह

निवासी वार्ड क्र. 4 नगर परिषद घुबारा

तहसील धुबारा जिला- छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

- 1- शैलेश जेन पुत्र शिखरचन्द्र जैन
निवासी मैन मार्केट घुबारा तहसील
घुबारा जिला - छतरपुर (म.प्र.)
- 2- म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता मुकेश भार्गव
अनावेदक क्र. 1 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र जैन
म.प्र. शासन की ओर से अधिवक्ता डी.के. शुक्ला

आदेश

(आज दिनांक 23-09-2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार घुबारा जिला - छतरपुर के प्रकरण क्रमांक
06/अ-3/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2012 के विरुद्ध म.प्र. भू.






- राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।
- 2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक शैलेश जैन ने तहसील घुवारा जिला छतरपुर के न्यायालय में दिनांक 03.10.2012 को भूमि ख.नं. 612/2 रकवा 0.350 है० भूमि स्थित कस्वा घुवारा तहसील घुवारा के समक्ष नक्शा तरमीम किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर से तहसीलदार घुवारा ने दिनांक 03.10.2012 को प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक को तरमीम हेतु लिखे जाने के आदेश दिए। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करते हुये राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.11.2012 को नक्शा तरमीम प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2012 द्वारा राजस्व निरीक्षक के तरमीम प्रस्ताव की पुष्टि की और प्रकरण समाप्त किया। तहसीलदार के इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।
- 3- मैने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक एवं अनावेदक सरहदी काश्तकार है। किन्तु उसे नक्शा तरमीम की कोई सूचना नहीं दी गई है। अनावेदक द्वारा मुख्य मार्ग पर आवेदक की भूमि की नक्शे में गलत तरमीम कराई गई है।
- यह भी तर्क दिया गया वादग्रस्त भूमि ख.नं. 612 रकवा 0.405 है० भूमि के पूर्व स्वामी बौरा काछी थे। बौरा काछी ने दिनांक 02.07.1986 को उक्त भूमि बहादुर सिंह को विक्रय कर दी थी उक्त विक्रय पत्र में चतुर सीमा नहीं दर्शाई थी। बहादुर सिंह ने सर्वे नं. 612 की भूमि बंटवारा में अपने पुत्र राजेन्द्र सिंह को दे




दी थी राजेन्द्र सिंह ने वर्तमान में सर्वे नं. 612 रकवा 0.405 है० में से रकवा 0.240 है० रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.08.2012 को अनावेदक शैलेश जैन को विक्रय कर दी उक्त विक्रय पत्र में चतुर सीमा की चारो दिशाओं में जिन व्यक्तियों के नाम दर्शाये हैं उनमें आवेदक का नाम नहीं है।

यह भी तर्क दिया गया कि ख.नं. 612 रकवा 0.405 है० भूमि पर भूमिस्वामी बहादुर सिंह कभी भी मौके पर काबिज नहीं रहा न ही उसका पुत्र राजेन्द्र सिंह काबिज रहा। आवेदक के स्वत्व स्वामित्व की भूमि ख.नं. 614 रकवा 0.599 है० भूमि है अनावेदक शैलेश जैन ने ख.नं. 612 रकवा 0.240 है० भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है रजिस्ट्री के समय बिना ट्रेश नक्शे के आधार पर गलत चौहद्दी अंकित कराई गई है अनावेदक ने ख.नं. 612 रकवा 0.240 है० भूमि का जो नक्शा तरमीम कराया है उक्त तरमीम आवेदक के ख.नं. 614 रकवा 0.599 है० भूमि के रकवा पर अनावेदक के ख.नं. 612 रकवा 0.240 है० भूमि की तरमीम कर दी गई इस प्रकार आवेदक के स्वत्व की भूमि पर अनावेदक की भूमि बताकर गलत तरीके से नक्शा में तरमीम कर दिया गया आवेदक की भूमि मुख्य मार्ग पर है इस कारण अनावेदक ने उक्त अवैध तरमीम करा लिया ।

यह भी तर्क दिया गया कि ख.नं. 612 का पूर्व भूमिस्वामी मौके पर कभी भी काबिज नहीं रहे तब विक्रेता ने किस स्थान पर क्रेता अनावेदक शैलेश जैन को कब्जा दिया था एवं क्रेता अनावेदक ने किस स्थान की भूमि का तरमीम करा लिया उक्ततथ्य अस्पष्ट होने से किये गये नक्शा तरमीम की कार्यवाही को अवैध ठहराने के लिये विचारणीय है। अर्थात् पूर्व के नक्शा को देखे बिना ही उक्त तरमीम किया गया है।

यह भी तर्क दिया गया कि नक्शा तरमीम कार्यवाही में आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश की जानकारी होने पर आवेदक ने अभिभाषक की गलत सलाह के आधार पर सिविल वाद पेश कर दिया था जो आदेश दिनांक 09.12.2015 को निरस्त किया गया तत्पश्चात उक्त सिविल आदेश की नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह ली तब बताया गया कि नक्शा तरमीमकी कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु राजस्व न्यायालयों में ही चुनौती दी जा सकती है सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है इस कारण सिविल आदेश उक्त पुनरीक्षण में बंधनकारी नहीं है। तहसील आदेश की प्रति प्राप्त कर उक्त आदेश के विरुद्ध धारा-5 आवेदन के साथ उक्त पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है।


यह तर्क भी दिया गया कि अनावेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण नक्शे के आधार पर ख.नं. 612/2 का सीमांकन रा.प्र.क्रं. 71/अ-12/12-13 आदेश दिनांक 22.06.2013 द्वारा कराया गया है। इसलिये सही नक्शा तरमीम हो जाने के पश्चात ही पुनः सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2012 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

- 4- अनावेदक क्र. 1 के अभिभाषक ने तर्क दौरान सिविल आदेश की प्रति पेश कर तर्क दिये कि तहसील न्यायालय ने विधिवत नक्शा तरमीम की कार्यवाही की थी उसके पश्चात अनावेदक ने अपनी भूमि का सीमांकन भी कराया है। आवेदक ने एक सिविलवाद भी पेश किया था जिसमें वह यह प्रमाणित नहीं कर सका कि अनावेदक ने आवेदक की भूमि पर नक्शा तरमीम कराया है आवेदक ने उक्त




तरमीम आदेश के विरुद्ध काफी विलंब से पुनरीक्षण पेश किया है इस प्रकार उनके द्वारा निवेदन किया कि उक्त पुनरीक्षण निरस्त किया जावे।


- 5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि के नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पेश किया गया तहसीलदार के आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा नक्शा तरमीम प्रतिवेदन दिनांक 19.11.2012 को प्रस्तुत किया गया तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक के तरमीम प्रस्ताव की पुष्टि आलोच्य आदेश द्वारा की गई है जो परीक्षणोपरांत विधि संगत नहीं पाई जाती है क्योंकि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का सरहदी कृषक है किन्तु उसको सीमांकन एवं तरमीम किए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। अनावेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में नक्शा तरमीम हेतु जो आवेदन पत्र पेश किया गया है उसमें चौहद्दी नहीं दर्शाई गई है तथा यह उल्लिखित नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के चारों सीमाओं में किस भूमिस्वामी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र में आवेदक का न तो नाम है न ही उसके हस्ताक्षर है इसी प्रकार स्थल पंचनामा में भी आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का एक सरहदी कृषक होने के बावजूद भी उन्हें तरमीम एवं सीमांकन जांच हेतु कोई सूचना नहीं दी गई है तथा उनकी अनुपस्थिति में तरमीम प्रस्ताव तैयार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार एक सरहदी कृषक को सूचना दिए बिना एवं उनकी अनुपस्थिति में किया गया तरमीम प्रस्ताव एवं सीमांकन संहिता में निर्मित प्रावधानों के विपरीत था जिसकी पुष्टि करने में तहसीलदार द्वारा विधिक त्रुटि

की गई है। उक्त प्रकरण में त्रुटिपूर्ण नक्शा के आधार पर किया गया नक्शा तरमीम स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उक्त तरमीम को आधार बनाकर किया गया सीमांकन स्वतः ही अवैध माना जायेगा जब तक पुराने नक्शे को आधार बनाकर दोनों सर्वे नम्बर की भूमि का एक साथ सीमांकन नहीं किया जाता तब तक सही स्थिति स्पष्ट नहीं होगी।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2012 विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि नक्शा तरमीम एवं सीमांकन कार्यवाही हेतु टीम गठित कर पुराने अभिलेख के आधार पर उभयपक्षों को विधिवत सूचना दिया जाकर उनकी उपस्थिति में मौके पर जांच कर तरमीम की कार्यवाही करते हुए उभयपक्षों को सुनवाई की जाकर प्रकरण का विधिवत निराकरण किया जाये।

१
३५


(एम.के. सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर